

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6/08/2021

क्रमांक 1728/2792/2021/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. चंद्रशेखर तिवारी, प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी, जिला सिवनी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-42 के उपनियम (1) खण्ड (ए) के अधीन उनके स्वयं के आवेदन पर दिनांक 31.08.2021(अपरान्ह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

dlc3109/21  
( श्वेता पवार )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 6/08/2021

पृ.क्रमांक 1729 /2792/2021/38/1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.
  2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
  3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
  4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
  5. जिला कोषालय अधिकारी, सिवनी,
  6. क्षेत्रीय अतिरिक्त.संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर,
  7. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी, जिला सिवनी,
  8. संबंधित डॉ. चंद्रशेखर तिवारी, प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी, जिला सिवनी,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

dlc3109/21

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग